

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
समक्ष : मनोज गोयल,  
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2141-पीबीआर/2016 विरुद्ध आदेश दिनांक  
17-05-2016 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक, वृत्त बहोडापुर तहसील व  
जिला ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 32/अ-12/2015-16.

.....  
श्रीमती सीमा अरोरा पत्नी श्री राजकुमार अरोरा,  
निवासी 18 विनय नगर सेक्टर 2 लश्कर ग्वालियर

..... आवेदिका

विरुद्ध

- 1-मिथलेश अग्रवाल पुत्र श्री रामस्वरूप अग्रवाल  
निवासी डॉ०शिवजीप्रसाद के सामने, गुब्बारा फाटक,  
लश्कर ग्वालियर म०प्र०
- 2-राजस्व निरीक्षक सर्किल बहोडापुर,  
जिला ग्वालियर म०प्र०


..... अनावेदकगण

.....  
श्री एल.एस.धाकड़, अभिभाषक-आवेदिका  
श्री एन०डी०शर्मा, अभिभाषक-अनावेदिका क्रमांक 1

.....  
**:: आ दे श ::**

( आज दिनांक 26/10/16 को पारित )


यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे  
आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व  
निरीक्षक, वृत्त बहोडापुर तहसील व जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक  
17-05-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।



2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत्त बहोडापुर तहसील व जिला ग्वालियर के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम शंकरपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 574 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/अ-12/2015-16 दर्ज कर दिनांक 17-5-2016 को सीमांकन आदेश पारित किया गया। राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश से दुखित होकर आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।


3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन नियमों के विपरीत जाकर कार्यवाही की गई है, इस कारण राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि गलत सीमांकन के आधार पर आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य का प्लॉट सर्वे क्रमांक 574 में स्थित था, उसे अन्य की संपत्ति बता दिया गया है। इस प्रकार आवेदक की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया है। तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही में राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन की प्रति आवेदिका को उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सीमांकन की प्रति आवेदिका को उपलब्ध कराई जाकर सुनवाई का अवसर न्यायिक दृष्टि से आवश्यक था। उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदिका क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन कार्यवाही में मेड़िया कृषकों सहित आवेदिका को विधिवत् सूचना दी गई है और यदि आवेदिका को सीमांकन की सूचना नहीं दी जाती तो उन्हें सीमांकन के आदेश की जानकारी कैसे होती। यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत् सीमांकन किया गया है, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।




5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा यद्यपि आवेदिका को दिनांक 17-05-2016 को सीमांकन किये जाने के संबंध में सूचना पत्र जारी किया गया है, परन्तु उसकी तामीली आवेदिका पर नहीं कराई गई है और न ही आवेदिका की उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, जबकि आवेदिका पड़ोसी कृषक होकर सीमांकन में हितबद्ध पक्षकार है, अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन एवं पारित आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रोफार्मा में रिक्त स्थान भरकर पंचनामा तैयार किया गया है, जो कि वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है। पंचनामे से यह भी स्पष्ट नहीं है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर उनकी उपस्थिति में सीमांकन किया गया है। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, वृत्त बहोडापुर तहसील व जिला ग्वालियर द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 17-05-2016 निरस्त किया जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

  
(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,  
ग्वालियर